फर्द अहकाम

अनिता बनाम ओमप्रकाश आदि

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 1554/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/4/25	अपीलार्थी द्वारा पेश हुई अपील ... द्वारा ... का अवलोकन करने पर ... पंजीकृत किया ... पेश हो। 8/5/25	
	8/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप., पत्रावली पर आपत्ति हेतु ~~[illegible]~~ अन्तिम मौका दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	22/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। आपत्ति कोईजात पेश नहीं की गई। आपत्ति कोईजात बन्द की जाती है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 2/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	2/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन	

फर्द आदेश कार्यवाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

आनिता बनाम ओमप्रकाश वगै०

संख्या 1467/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	किया जाकर तरमीम बयान का मनन किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर कुर्आ मुताबिक कुर्रेजात के वाद में तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
148 / 2020	28 / 11 / 2020	02 / 06 / 2025

1. अनिता पुत्री स्व0 जगदीश जाति मीणा आयु लगभग 18 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री कन्हैयालाल
2. गोपाल पुत्र श्री रामस्वरूप
3. नरसीराम पुत्र स्व0 हनुमान
4. प्रभाती देवी पत्नि स्व0 श्री हनुमान
5. रूकमणी देवी पत्नि छोटू
6. राधेश्याम पुत्र श्री रामस्वरूप
7. रामकिशन पुत्र श्री रामस्वरूप
8. रामनिवास पुत्र श्री रामस्वरूप
9. शंकर पुत्र श्री रामस्वरूप
10. सेडू पुत्र श्री घासी
11. हरिनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल
    समस्त जातियान मीणा निवासीयान जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री दीपचन्द महावर :– वकील वादी।

श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 3

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री दीपचन्द महावर ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 377 रकबा 2.0400है0, खसरा नम्बर 378 रकबा 1.4200है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.4700है0 वाकै ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं रास्ते को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 23.12.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

क्र0 सं0	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
	अनिता पुत्री जगदीश हि0 1/60 जाति मीना सा0देह खातेदार, ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/15 जाति मीना सा0देह खातेदार, कंचन पुत्री जगदीश हि0 1/60 जाति मीना सा0देह खातेदार, गोपाल पुत्र रामस्वरूप हि0 1/20 जाति मीना सा0देह खातेदार, नरसीराम पुत्र हनुमान हि0 2/15 जाति मीना सा0देह खातेदार, ममता देवी पत्नि सीताराम हि0 1/5 जाति मीना सा. 80 टाटीयावास मीणा की ढाणी, जयपुर खातेदार, रूकमणी पत्नि छोटू हि0 1/5 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) आरएमजीबी शाखा जमवारामगढ, राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप हि0 1/20 जाति मीना सा0देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामस्वरूप हि0 1/20 जाति मीना सा0देह खातेदार, रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/15 जाति मीना सा0देह खातेदार, शंकर पुत्र रामस्वरूप हि0 1/20 जाति मीना सा0देह खातेदार, सुशीला देवी पत्नि जगदीश हि0 1/30 जाति मीना सा0देह खातेदार, हरिनारायण पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/15 जाति मीना सा0देह खातेदार।	376 377 378	0.01 2.04 1.42	गै.मु.चाह चाही 3 चाही 3	–
	योग	किता 3	3.47	–	–

–: प्रस्तावित :–

सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	अनिता पुत्री जगदीश हि0 1/4 जा0 मीणा सा0देह खातेदार, कंचन पुत्री जगदीश हि0 1/4 जा0 मीणा सा. देह खातेदार, सुशीला देवी पत्नि जगदीश हि0 1/2 जा. मीणा सा0देह खातेदार।	378/2	0.2300	चा0 3	–
	योग	किता 1	0.2300	–	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

नरसीराम पुत्र हनुमान हि0 पूर्ण जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा जमवारामगढ।	378/3	0.4600	चाही 3	–
योग	किता 1	0.4600	–	–
ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/12 जाति मीना सा देह खातेदार, रामनिवास पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/12 जाति मीणा सा0देह खातेदार, हरिनारायण पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/12 जाति मीणा सा0देह खातेदार, गोपाल पुत्र रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रामकिशन पुत्र रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मीणा सा0देह खातेदार, शंकर पुत्र रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मीणा सा0देह खातेदार, ममता देवी पत्नि सीताराम हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार, रूकमणी पत्नि छोटू हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार।	378/1 377	0.7300 2.0400	चाही 3 चा0 3	–
योग	किता 2	2.7700	–	–
शामलाती	376	0.01	गै.मु.चाह	–
योग	किता 1	0.01	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ